[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 31/2018 – केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 6 अगस्त, 2018

सा.का.नि. ……... (अ)—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करती है, जिन्होंने केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटी आरईजी-26** को पूरा फाइल नहीं किया है, किंतु 31 दिसंबर, 2017 तक केवल अनन्तिम पहचान संख्या (पीआईडी) प्राप्त किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "ऐसे करदाता" कहा गया है), जो अब माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) के लिए आवेदन कर सकेंगे ।

2. ऐसे करदाताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :--

(i) ऐसे करदाताओं द्वारा नीचे की सारणी के अनुसार ब्यौरे, अधिकार-क्षेत्र वाले केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को 31 अगस्त, 2018 को या उससे पूर्व फाइल करने होंगे ।

सारणी

1	अनन्तिम पहचान सं0	
2	पूर्वतर विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण सं0 (करदाता पहचान सं0 (टिन)/केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर रजिस्ट्रीकरण सं0)	
3	तारीख, जिसको पहली बार के लिए टोकन बांटा गया था	
4	क्या पूर्वोक्त **प्ररूप जीएसटी आरईजी-26** के भाग क को क्रियाशील बनाया गया है	हां/नहीं
5	करदाता के संपर्क ब्यौरे	
5क	ईमेल आईडी	
5ख	मोबाइल	
6	सिस्टम में स्थानान्तरण न करने के कारण	
7	अधिकारी की अधिकार-क्षेत्र, जिसने अनुरोध किया है	

(ii) माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) से ईमेल प्राप्त होने पर, ऐसे करदाताओं को http://www.gst.gov.in/ पर लागइन करके "सर्विसेस" टेब में और केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटी आरईजी-01** में आवेदन भर कर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा ।

(iii) समुचित अधिकारी द्वारा आवेदन का सम्यक् रूप से अनुमोदन करने के पश्चात्, ऐसे करदाता, माल और सेवा कर नेटवर्क से, आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन), एक नए जीएसटीआईएन और नए पहुंच टोकन का उल्लेख करते हुए एक ईमेल प्राप्त करेंगे ।

(iv) ऐसी प्राप्ति पर, ऐसे करदाताओं से निम्नलिखित ब्यौरे, माल और सेवा कर नेटवर्क को, 30 सितंबर, 2018 को या उससे पूर्व, migration@gstn.org.in पर, देने की अपेक्षा होगी :--

(क) नया जीएसटीआईएन ;

(ख) नए जीएसटीआईएन के लिए पहुंच टोकन ;

(ग) नए आवेदन की आवेदन संदर्भ संख्या ;

(घ) पुराना जीएसटीआईएन (पीआईडी) ।

(v) ऐसे करदाताओं से उपरोक्त जानकारी की प्राप्ति पर, माल और सेवा कर नेटवर्क, नए जीएसटीआईएन को पुराने जीएसटीआईएन से मिलाने की प्रक्रिया पूर्ण करेगा और ऐसे करदाताओं को सूचित करेगा ।

(vi) ऐसे करदाताओं से, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जनित करने हेतु, सामान्य पोर्टल www.gstn.gov.in पर "पहली बार लाग-इन" के रूप में पुराना जीएसटीआईएन प्रयोग करके लागइन करना अपेक्षित होगा ।

3. ऐसे करदाता 1 जुलाई, 2017 से रजिस्ट्रीकृत किए गए समझे जाएंगे ।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(पार्ट)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार